है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 17/5 को प्रस्तुत हो।

12/5/17

वादीगण अभि. वकील ने 220 पेश कर उक्त प्रकरण वापस लेने का निवेदन किया, और कथन किया कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त प्रकरण का कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण बाबत विड्रोल खारिज किया जावे।

अतः वकील वादी के निवेदन पर वादी की उक्त 220 स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण बाबत विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

Scanned by CamScanner